

4

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHILAI

N.I.T.

कार्य का नाम:— रॉ वाटर पाइप लाइन (MS Pipe) लिकेज संधारण कार्य (वार्षिक)

S.No.	Item Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1.	1200 एम.एम. डाया MS Pipe लिकेज संधारण का कार्य— लिकेज स्थल का खुदाई कार्य, डिवाटरिंग , वेल्डिंग मशीन, MS Sheet वेल्डिंग पश्चात् वेल्ड क्षेत्र का फिनिसिंग, M seal आदि लगाने का कार्य, पेंट, आवश्यक टूल्स, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, लेबर, ट्रान्सपोर्टेशन, रेत फिलिंग, मुरुम फिलिंग, रैमिंग, वाटरिंग इत्यादि सम्पूर्ण कार्य।	प्रति लिकेज	6		

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
भिलाई

सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम
भिलाई

उप अभियन्ता
नगर पालिक निगम
भिलाई

(2)
कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

(जलप्रदाय विभाग)

कार्य का नाम— जलकार्य विभाग हेतु रॉ-वॉटर पाइप लाइन (एम.एस.पाइप) लीकेज संधारण कार्य (वार्षिक)

नियम व शर्तें

1. निगम की निविदाओं से वंचित ठेकेदार/एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत निविदा दर से अतिरिक्त किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा न ही निविदाकार अन्य किसी राशि के भुगतान की मांग कर सकेगा।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उक्त कार्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्पूर्ण नुकसान की भरपाई के लिये पूरी तरह निविदाकार एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
5. लीकेज स्थल पर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था एजेन्सी को सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
6. वैल्विंग ट्रांसफार्मर सप्लाई प्वाइंट तक लगने वाला केबल डी-वॉटरिंग पम्प इत्यादि सभी उपकरण की व्यवस्था एजेन्सी को स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. आवश्यकता होने पर कांकीट ब्रेकिंग मशीन, कांकीट ब्रेकिंग ट्रैक्टर, कांकीट ब्रेकिंग मशीन, कांकीट ब्रेकिंग जे.सी.बी. की व्यवस्था की एजेन्सी को करनी होगी, इसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. रोड की कंटींग में एवं खोदाई में लगने वाले उपकरणों की व्यवस्था एजेन्सी को स्वयं के व्यय से करनी होगी।
9. सफलता पूर्वक लीकेज संधारण उपरांत बैक फिलिंग का कार्य एवं रेस्टोरेशन का कार्य की एजेन्सी को करना होगा।


✓


9


//2//

10. कार्य शुरु कर कार्य की समाप्ति तक लगातार कार्य करना अनिवार्य होगा। जिससे यथाशीघ्र जलप्रदाय प्रारम्भ किया जा सके।
11. सूचना मिलने के 03 घंटे के अन्दर लीकेज संधारण में कार्य शुरु किया जाना आवश्यक होगा।
12. विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

नियम शर्तों का उल्लंघन की स्थिति में पी.डब्ल्यू.डी. मेन्युवल एवं निविदा नियम शर्तें अनुसार कार्यवाही की जावेगी।


उप अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई


सहायक अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई


कार्यपालन अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई